हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 71

बुधवार, 25 मार्च, 2015/4 चैत्र, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

11.00 AM

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा पूर्व माननीय मुख्य मंत्री व विपक्ष के नेता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मामला दर्ज़ करने हेतु प्रयास किए गए हैं। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल में इस प्रकार के मामले को नहीं उठाया जा सकता। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि मैंने नेता प्रतिपक्ष के प्रति कोई अपशब्द नहीं कहे हैं और मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का भी पूरा सम्मान करता हूँ।

11.05 AM

1. **प्रश्नोत्तरः**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 779, 1178, 1408 और 1484 को club किया। इन प्रश्नों को और तारांकित प्रश्न संख्या 1728, 1729, 1730, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 1731 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 1738 से 1763 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 812 से 822 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

2. **कागज़ात सभा पटल परः**

(1) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 35 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा तुलन-पत्र (Balance Sheet), वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14; और

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 ।

(3) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 की धारा 27(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-14; और

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14।

<u>12-03 PM</u>

3. <u>**सदन की समितियों के प्रतिवेदनः**</u>

(1) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2014-15)**ने समिति का **12वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में **तकनीकी शिक्षा विभाग** द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सकारात्मक गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

(2) **श्री मोहन लाल ब्राकटा, सदस्य, कल्याण समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **15वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए संचालित योजनाओं सम्बन्धी गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **16वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति समुदायों के शिक्षा व सामाजिक सुधार कार्यों में लगे गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता अनुदान योजना की संवीक्षा पर आधारित है तथा **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित है।

(3) **श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति का **15वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि **खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति(वर्ष 2014-15) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **13वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के द्वितीय मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **14वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 31वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है।

12.06 AM

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

(1) **श्री रवि ठाकुर ने** जिला लाहौल-स्पिति के अन्तर्गत बारिंग हैलीपैड से हाल ही में उड़ाने रदद होने के कारण गम्भीर रूप से बीमार तीन मरीजों को ईलाज़ के लिए न ले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

श्री रवि ठाकुर ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

(2) **श्री महेश्वर सिंह ने** Certified Tree Spray Oil के मार्किट में उपलब्ध न होने के फलस्वरूप किसानों और बागवानों को हो रही कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति की ओर **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित किया।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

श्री महेश्वर सिंह ने स्पष्टीकरण मांगा।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

12.31 PM

5. मन्त्री द्वारा वक्तव्यः

श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने MGNREGA बारे सदन में वक्तव्य दिया।

12.35 PM

6. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान-सामान्य चर्चाः

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री रविन्द्र सिंह

(सदन की बैठक 1.20 बजे अपराह्न दोपहर के भोजनोवकाश के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई)।

(सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अपराह्न 2.15 बजे पुनः आरम्भ हुई)।

2. श्री बलबीर सिंह वर्मा
3. श्रीमती सरवीन चौधरी
4. श्री राकेश कालिया
5. श्री वीरेन्द्र कंवर
6. श्री महेश्वर सिंह
7. श्री बिक्रम सिंह

(5.00 बजे अपराह्न सदन की अनुमति से माननीय सदन की बैठक 7.00 बजे सायं तक बढ़ाई गई)

8. श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव

(माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दिया)।

(माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री द्वारा भी कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दिया गया)।

9. श्री पवन काजल

(श्रीमती आशा कुमारी, सभापति 6.15 बजे अपराह्न पदासीन हुई)।

10. श्री बी0के0 चौहान

(माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दिया)।

(सायं 7.00 बजे सदन की अनुमति से माननीय सदन की बैठक 8.00 बजे सायं तक बढ़ाई गई)

11. श्री कर्ण सिंह

12. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर

13. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, मुख्य संसदीय सचिव

14. श्री नरेन्द्र ठाकुर

(रात 8.00 बजे सदन की अनुमति से माननीय सदन की बैठक 8.30 बजे तक बढ़ाई गई)

15. श्री मनोहर धीमान

16. श्री राम कुमार

सदन की बैठक अपराह्न 8.30 बजे वीरवार, दिनांक 26 मार्च, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।